राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
01.	43/2025	निर्मला	1. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन, जयपुर। 3. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ। 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ। 5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ। 6. रोशनी एएनएम उपकेन्द्र गोलूवाला निवादान खण्ड पिलीबंगा जिला हनुमानगढ।
02.	44/2025	सावित्री	1. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन, जयपुर। 3. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ। 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ। 5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ। 6. बीमला देवी एएनएम उपकेन्द्र रणजीतपुरा खण्ड हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 43/2025 निर्मला बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर उपकेन्द्र 6 एनटीआर खण्ड भादरा जिला हनुमानगढ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.

2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उप स्वास्थ्य केन्द्र गोलूवाला निवादान जिला हनुमानगढ में निजी प्रत्यर्थी रोशनी के स्थान पर समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया और प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 18.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्ति आदेश जारी किया गया। उनका आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के S.B. Civil Writ Petition No. 4559/2024 सुमन बनाम राजस्थान राज्य आदि में निर्णय दिनांक 14.03.2024 में स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो इस अपील के समान है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 2011 नियम–8(1)(2) के नियम के विरूद्ध है।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में एएनएम पद पर उपकेन्द्र 6 एनटीआरखण्ड भादरा जिला हनुमानगढ में कार्य करने दिया जायें।
5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर उपकेन्द्र 6 एनटीआर खण्ड भादरा जिला हनुमानगढ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उप स्वास्थ्य केन्द्र गोलूवाला निवादान जिला हनुमानगढ में निजी प्रत्यर्थी रोशनी के स्थान पर किया गया और प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 18.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्ति आदेश जारी किया गया। मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज विभाग के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है, उक्त आलोच्य आदेश निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचाती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा पारित किया गया जो प्रशासनिक दृष्टि से राज्यहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया। एक जिले से दूसरे जिले में कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियम का नियम 290 निम्न प्रकार है :–

> *''290. जिले के बाहर स्थानान्तरण – (1) ऐसे कर्मचारियों के नाम जो एक जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरण चाहते हैं या जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना चाहा गया है, पंचायत समिति, जिला परिषद् यथास्थिति, द्वारा निदेशक को संसूचित किये जायेंगे। (2) ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापन ऐसे समय पर विद्यमान रिक्त पदों के प्रति राज्य सरकार की सिफारिश पर संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार सेवा के किसी सदस्य का (पदस्थापन के किसी स्थान से पदस्थापन के किसी अन्य स्थान पर चाहे उसी पंचायत समिति के भीतर होगा) जिले के भीतर या उसके बाहर एक पंचायत समिति से अन्य पंचायत*

समिति में, एक जिला परिषद् से अन्य जिला परिषद् में, या पंचायत समिति से जिला परिषद् में, या जिला परिषद् से पंचायत समिति में स्थानान्तरण कर सकेगी और इन नियमों के अधीन किये गये स्थानान्तरण के किसी आदेश के प्रवर्तन को रोक या निरस्त भी कर सकेगी। संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी या विकास अधिकारी ऐसे आदेशों की पालना करेंगे ´

(परन्तु अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले के बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था।)

(3) किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसकी गोपनीयता पंजिका और सेवाभिलेख उस पंचायत समिति/जिला परिषद् को, जिसे उसकी सेवाएँ स्थानान्तरित की गयी है, बिना परिहार्य विलम्ब के भेजे जायेंगे।´´

7. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

8. लिहाजा प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
9. मूल आदेश अपील संख्या 43/2025 निर्मला बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य में संलग्न किया जावे एवं उसकी छायाप्रति अन्य अपील संख्या 44/2025 पत्रावली में भी संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य